

मुखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

5/2/2020

फगावली पेरा दुई। वकीलवादी उप.। पेंरोकार तरकार
उप.। फगावली वास्ते बाहस नियत है। बाहस
उभय पक्षकरान सुनी गई। पेंरोकार तरकार द्वारा
लेखित जवाब अनुसार देखाया गया कि वाद
वर्गित आराजी वर्तमान जमाबन्दी में मन्दीर श्री
शिव जी के खालेचारी दर्जे है। उभय पक्षकर को
सुना गया। प्राचीन द्वारा प्रस्तुत प्राप्ति - पत्र अन्वयित
द्वारा 128 LRA आनुलोक प्रोगम न होने से
अस्वीकार दिया जाता है। फगावली पर विस्तृत
निर्णय पुष्क ले लिखा जाकर शामिल भित्तल
किया गया। फगावली भंडाल शुमार हो। नखरति
कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

मुखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)